खंड 1 संख्या 139

राष्ट्र महिला

फरवरी 2010 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

कोलकता के लाल बत्ती क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा एक सेक्सकर्मी की नृशंस हत्या कर दिए जाने पर उसे मिले मृत्यु दंड को बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "कोई भी महिला घोर गरीबी से त्रस्त होकर वेश्यावृत्ति अपनाने को मजबूर होती है, इसलिए नहीं कि इससे उसे आनन्द प्राप्त होता है।" खंडपीठ ने आगे कहा कि सेक्सकर्मी भी इंसान हैं और किसी को भी उनकी हत्या करने का अधिकार नहीं है। समाज को उनके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए और उन्हें हीन-दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। संविधान की धारा 21 के अनुसार, उन्हें भी आदर का जीवन जीने का अधिकार है।

न्यायालय ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों को यह निर्देश भी दिया कि वे भारत भर में सभी नगरों में सेक्सकर्मियों तथा सेक्स-पीड़ित महिलाओं को अपना जीवन-यापन करने योग्य बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रबंध करें।

चर्चा में — आदर सहित जीना

खंडपीठ ने सरकार से यह आश्वस्त करने को भी कहा कि सेक्सकर्मी जो सामान तैयार करें वह बाजार में बिके भी ताकि वे आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बन सकें।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने उन्हें निर्देश दिया कि इस आदेश के अनुसरण में तैयार की गई योजनाओं की सूचना वे न्यायालय को भेजें और ब्यौरे से बताएं कि तकनीकी तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण कौन देगा और उन्हें रोज़गार प्रदान कर किस तरह उनका पुनर्वास किया जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग सेक्सकर्मियों की दुर्दशा को प्रकाश में लाने के लिए कई परामर्श एवं सेमिनार आयोजित कर चुका है और सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रशंसनीय निर्णय का स्वागत करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह करता है कि महिलाओं के व्यवसायिक यौन शोषण के निवारण के लिए उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों को कार्यान्वित करें।

पत्नियों के साथ मार-पीट करने में बिहार सबसे आगे

नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, जिसमें वर्ष 2005-2006 का समस्त देश का तथा वर्ष 2006-2007 का बिहार का सर्वेक्षण शामिल है, बिहार राज्य में पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को पीटे जाने के मामले देश में सबसे अधिक हैं।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार में 59% पत्नियां अपने पतियों द्वारा पीटी गयीं और 32% पतियों ने कहा कि यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ तर्क करे, सास-ससुर का अनादर करे या विवाहेतर रिश्ता रखती हो तो उसकी पिटाई जायज़ है।

आयु वर्ग 15-49 के अंतर्गत आने वाली 57% सर्वेक्षित महिलाओं का मानना है कि विशिष्ट परिस्थितियों में पति द्वारा अपनी पत्नी को पीटा जाना ठीक है, यद्यपि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2004 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।

सर्वेक्षण में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में यह संख्या 6% अर्थात् सबसे कम है। दिल्ली, केरल, जम्मू और कश्मीर सबसे अच्छे पांच राज्य पाये गये जहां पत्नियों के प्रति हिंसा के मामले 13% और 16% के बीच हैं।

सबसे बदतर राज्य असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान थे जहां ये घटनाएं 40% और 46% के बीच हैं।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि पत्नियों पर शारीरिक, यौनिक तथा भावात्मक हिंसा बिहार की सभी जातियों तथा समुदायों में प्रचलित है। निम्नतम धन सूचिका सोपान के अंतर्गत आने वाले 66% पुरुषों तथा उच्चतम धन सूचिका में आने वाले 56% पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों पर हिंसा की गयी। मध्य वर्ग के घरों में यह संख्या 55% है।

सर्वेक्षण में पाया कि बहुत छोटे परिवारों में यह हिंसा सबसे अधिक व्यापक है जहां 63% महिलाएं हिंसा का शिकार हुईं।

आयोग की अध्यक्षा का उड़ीसा का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने उड़ीसा में महिलाओं की दशा जानने के लिए हाल ही में वहां का दो दिन का दौरा किया।

मीडिया के लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को महिलाओं पर अत्याचार रोकने की दिशा में 'गम्भीर' कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि "उड़ीसा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती। जबकि गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अपराधों में 4% से 7.5% की वृद्धि हुई है, बहुत कम एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी हैं" और उन्हें आए दिन उड़ीसा से उत्पीड़ित महिलाओं के फोन आते रहते हैं कि वह कुछ कार्यवाई करें।

खंडामल दंगों के बाद राज्य के बढ़ते हुए महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के अनैतिक व्यापार को रोकने के बारे में उड़ीसा राज्य राष्ट्रीय महिला आयोग की वरीयता की सूची में है।

डॉ. व्यास ने राज्य में कम महिला-पुरुष अनुपात की तथा जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण प्रतिषेध अधिनियम के अ-कार्यान्वयन की भी आलोचना की और कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत यहां एक भी व्यक्ति को सज़ा नहीं मिली है।

डॉ. गिरिजा व्यास प्रेस को सम्बोधित करते हुए।

उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम को भी समुचित रूप से लागू करने तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के नियमों को बनाए जाने तथा लागू किए जाने पर ज़ोर डाला।

उन्होंने कहा कि मीडिया को 'बालिका को बचाओ' आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए और डॉक्टरों के लिए एक संदेशा जाना चाहिए।

बाद में उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, राज्य महिला आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ हुई बैठक में महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

हिसार में बाल विवाहों पर रोक

जिला अधिकारियों ने हिसार जिले के दो गांवों में तीन नाबालिग लड़कियों के विवाह रोके।

सूचना मिलते ही, जिला बाल विवाह रोकथाम अधिकारी बालसमंद गांव पहुंचे जहां हवा सिंह अपनी 14 वर्षीय पुत्री मोनिका का विवाह रचाने की तैयारी कर रहा था।

न्यायालय के निर्देश तथा पुलिस दल के साथ वहां पहुंच कर उन्होंने लड़की के पिता को सभी वैवाहिक अनुष्ठानों को निरस्त करने का आदेश दिया। लड़की के माता-पिता ने वचन दिया कि जब तक उनकी पुत्री विवाह की कानूनी आयु प्राप्त नहीं कर लेती, वे उसका विवाह नहीं करेंगे।

जिला बाल विवाह रोकथाम अधिकारी को जिले के तलवानी बादशापुर गांव में दो नाबालिग बहनों के विवाह संबंधी एक और सूचना मिली।

अधिकारी ने लड़कियों के माता-पिता से कहा कि वैवाहिक अनुष्ठान समाप्त कर दें अथवा कानूनी कार्यवाई की जायेगी। माता-पिता ने लड़कियों के बालिग हो जाने तक उनका विवाह न करने की बात मान ली।

सदस्यों के दौरे

सदस्या यास्मीन अब्रार ने जन्म-पूर्व गर्भ निर्धारण प्रतिषेध पर निगरानी रखने वाले अपने राष्ट्रीय निरीक्षण दल के साथ चार अस्पतालों का सहसा निरीक्षण किया।

उन्होंने पाया कि वहां लिंग पहचान के लिए सोनोग्राफी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था और टीम ने तीन मशीनों की सीलबंदी कर दी।

सुश्री अब्रार अलीगढ़ से सुश्री वेद प्रकाश से प्राप्त इस शिकायत की जांच करने के लिए भी वहां गयीं कि उनकी बहन को तंग किया जा रहा है और उस पर घरेलू हिंसा की जा रही है और पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

आयोग ने बलात्कार पीड़िता की मृत्यु पर रिपोर्ट मांगी

एक लड़की का कथित बलात्कार किए जाने और बाद में रेलगाड़ी से बाहर फेंक कर उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले पर आयोग ने रेलवे प्रशासन और केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पांच दिन तक जीवन की लड़ाई लड़ने के बाद उस लड़की की मृत्यु हो गयी थी।

महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर कार्यशाला

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग और भारत सेवा आश्रम ने लखनऊ में 'महिलाओं के कानूनी अधिकार' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि अत्याचार की शिकार महिलाओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने सुझाव दिया है कि सभी मंत्रालयों के व्यय का 30% से 40% भाग महिला सशक्तिकरण पर खर्च किया जाये। आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण प्रतिषेध अधिनियम तथा महिला संबंधित अन्य 32 कानूनों को मज़बूत बनाया जाना चाहिए। आयोग ने 'यौन उत्पीड़िन विधेयक' का एक मसौदा भी तैयार किया है जोकि संसद के आगामी सत्र में सदन पटल पर रखा जायेगा। आयोग सरकार से लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का अनुरोध भी करेगा।

उन्होंने कहा कि देश पर्यंत महिलाओं के प्रति अपराधों में 12% वृद्धि हुई है किन्तु उत्तर प्रदेश में बलात्कार, छेड़छाड़ और अपहरण के मामले भयास्पद रूप से बढ़े हैं। डॉ. व्यास ने कहा कि महिलाओं की रक्षा करने वाले अनेक कानून मौजूद हैं, फिर भी उनके प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए कानूनों को अधिक कठोर बनाया जाना और उनका उचित कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है।

वरिष्ठ पत्रकार सुनीता अरोड़ा तथा भारत सेवा आश्रम की अध्यक्षा शोभा राज मिश्रा ने ज़ोर देकर कहा कि महिलाओं पर हिंसा रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि का समुचित कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है।

डॉ. व्यास उस दलित लड़की के घर भी गयीं जिसका चिनहाट में सामूहिक बलात्कार किए जाने के बाद हत्या कर दी गयी थी। उन्होंने कहा कि फर्जी शव-परीक्षा रिपोर्ट ने सरकार तथा पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोल दी है। पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद डॉ. व्यास ने कहा कि इस प्रकार की उपेक्षा आम होने के कारण सज़ा की दर भी कम हो जाती है और अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है। उन्होंने वायदा किया कि वह पीड़िता के परिवार को वित्तीय सहायता दिए जाने की सिफारिश करेंगी।

इस मामले में जब पहली शव-परीक्षा में बलात्कार न किए जाने की बात कही गयी तो दूसरी शव-परीक्षा कराई गयी जिससे साबित हो गया कि उस लड़की का बलात्कार किया गया था और तत्पश्चात् उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी गयी थी। डॉ. व्यास ने कहा : "जो लोग इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। महिलाओं से संबंधित संवेदनशील मामलों के बारे में डॉक्टरी जांच में विशेष ध्यान दिए जाने के निदेश सरकार को जारी करने चाहिए। इन मामलों का मुकदमा त्वरित न्यायालयों में चलाया जाना चाहिए ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिल सके।"

महिला नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन

सरकार के कार्यान्वयन अभिकरणों को संवेदीकृत करने और उन पर दबाव बढ़ाने के प्रयोजन से साक्षी केन्द्र द्वारा कानपुर में 'राज्य की महिला नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने राजीव गांधी के काल का स्मरण दिलाते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा लिंग समानता बनाए रखने के लिए महिला नीतियों का सभारंभ करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था। डॉ. व्यास ने दुःख प्रकट किया कि उत्तर प्रदेश में, महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी, महिलाओं के प्रति बलात्कार, हत्या तथा अन्य अपराधों के मामलों में भयावह वृद्धि हुई है। उन्होंने पुलिस तथा प्रशासन की असंवेदनशीलता एवं नीतियों को कार्यान्वित किए जाने में उपेक्षा बरतने की मानसिकता की आलोचना की और कहा कि महिला-उन्मुख बजट बनाना तथा मीडिया एवं सिविल समाज द्वारा जागरुकता पैदा किया जाना बहुत आवश्यक है।

इस अवसर पर बोलने वाले अन्य वक्ता थे जागोरी से सुश्री सुनीता सिंह, सहरवारू से सुश्री शेवा जॉर्ज, सुश्री वसावी कीरो, सुश्री सुताप दीवानजी, डॉ. आशा त्रिपाठी और शक्ति केन्द्र की राधा मणि।

दुलात को बधाई

हरियाणा को प्रतिकूल लिंग अनुपात के लिए जाना जाता है, किन्तु वहां के जिला फतेहाबाद के एक गांव में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस गांव को 5 लाख रुपये का पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।

'दुलात' नाम के गांव का चयन इस पुरस्कार के लिए 6,000 गावों का सर्वेक्षण किए जाने के बाद किया गया। इस गांव में जनवरी 2010 और दिसम्बर 2010 के बीच 14 लड़कों की तुलना में 34 लड़कियां जन्मीं। इसका कारण लड़कियों के महत्व के प्रति धीरे-धीरे बढ़ती हुई जागरुकता हो सकता है।

शिकायत कक्ष से

● गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) से एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत भेजी कि आरोपी उसे 'साइबर क्राइम' के माध्यम से तंग कर मानसिक यातना दे रहा है। उसने शिकायत में लिखा कि कितनी ही बार रास्ते में उसका छुप कर पीछा किया गया और टेलीफोन पर अपशब्द कहे गये, सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसके प्रति कामुक टिप्पणियां की गयीं और उसके नाम तथा पते के साथ उसका नकली चित्र दर्शाया गया और इससे मन ही मन वह अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगी है। उसने आयोग से इन आपत्तिजनक कृत्यों को रोके जाने की तथा अपराधी को सज़ा दिलाने की अपील की ताकि उसकी सुरक्षा खतरे में न पड़े।

आयोग ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया। चूंकि आरोपी का अता-पता उपलब्ध नहीं था, इसलिए एस.एस.पी. गुरदासपुर/ एस.एस.पी. रोपड़ को नोटिस भेजा गया कि वे आरोपी के माता-पिता और चचेरे भाई की उपस्थिति आयोग में सुनवाई के लिए आश्वस्त करें। आयोग में दो सुनवाइयों के बाद, दोनों पक्षों में एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया जिसके अनुसार आरोपी के पिता ने उसकी ओर से वचन दिया कि भविष्य में इस प्रकार के तंग किए जाने के कृत्य नहीं होंगे।

● दिल्ली की एक औषध कम्पनी में कार्यरत महिला ने आयोग को एक शिकायत भेजी जिसमें कहा गया था कि उसे कार्यस्थल पर तंग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उस पर अपने काम से इस्तीफा दे देने का दबाव डाला जा रहा है क्योंकि उसे छः मास का गर्भ है। उसकी परेशानी और भी अधिक बढ़ाने के लिए उसका तबादला कम्पनी की शाम की ड्यूटी वाली एक अन्य शाखा में कर दिया गया है। उसको मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया और जिस अरसे वह काम पर नहीं जा सकी उस दौरान के वेतन तथा अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया। उसने मुम्बई में कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा उपाध्यक्ष से शिकायत की, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आयोग ने कम्पनी को पत्र लिख कर पूछा कि उसकी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी है और उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। आयोग को सूचित किया गया कि संयुक्त सचिव ने विश्वास दिलाया है कि महिला को उपयुक्त कार्य-वातावरण प्रदान किया जायेगा और मातृत्व अवकाश सहित अन्य लाभ भी प्रदान किए जायेंगे बशर्ते वह प्रबंधक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये कार्य-आचरणों एवं मार्गनिर्देशों का पालन करे।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

महत्वपूर्ण निर्णय

● **व्यापार के लिए की गयी पैसे की मांग दहेज है : उच्चतम न्यायालय**

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सम्पत्ति अथवा मूल्यवान वस्तुओं की मांग, जिसका संबंध विवाह से है, 'दहेज' की मांग मानी जायेगी भले ही वह पति अथवा ससुर द्वारा नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए की गयी हो। उच्चतम न्यायालय ने कहा, "यदि किसी सम्पत्ति को अथवा मूल्यवान वस्तुओं को रहन रखने की मांग का, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, विवाह के साथ सरोकार है तो, हमारी राय में, यह मांग 'दहेज' की मांग है; यह बेमानी है कि ऐसी मांग का कारण क्या है।"

● **उच्चतम न्यायालय ने तलाक की 500 रुपये की निर्वाह राशि का पत्ता साफ किया**

वर्ष 2001 के एक केन्द्रीय अधिनियम में किए गये संशोधन का उद्धरण देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जिन कानूनों में यह प्रावधान है कि किसी परित्यक्त या तलाकशुदा पत्नी को दी जाने वाली भरण-पोषण की राशि की अधिकतम सीमा 500 रुपये होगी वह प्रावधान अमान्य समझा जायेगा। इस माह के प्रारम्भ में दिए गये अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 125 में 2001 में किए गये संशोधन द्वारा शब्द 'कुल मिलाकर 500 रुपये से अनधिक' निकाल दिए गये थे।
चूंकि भारतीय दंड संहिता केन्द्र का कानून है, इसलिए केन्द्रीय संशोधन की मान्यता सभी राज्यीय संशोधनों से ऊपर होगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।